


5.8.24

वकील पार्सी उप.। वकील पार्सी द्वारा ठिकी अनुयाय शब्द
किर्द में अंकन होना बताया। प्रार्थना पत्र में कोई कल्पवृक्षी
शेष नहीं होवे पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है,
पत्रावली नंबर से जग होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश से इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)


GCMS
2024/389